

नाम	- डॉ. मोती लाल शाकार
महाविद्यालय का नाम	- दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
संकाय	- कला
पदनाम	- सहायक प्राध्यापक
विषय	- भाषाविज्ञान
शीर्षक	- भाषा उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांत

भाषा उत्पत्ति : विभिन्न सिद्धांत

डॉ. मोती लाल शाकार
सहायक प्राध्यापक
भाषाविज्ञान विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

भाषा उत्पत्ति का प्रश्न आज भी संभ्रम की जलकुंभी में उलझा हुआ है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों द्वारा जितने भी तर्क उपस्थित किए गए, उनमें कुछ तो अनुमान तथा कल्पना पर आधारित हैं, तथा हास्यास्पद हैं, कुछ अधूरे तथा आंशिक हैं और कुछ वैविध्य तथा वैचित्र्य से भरपूर हैं। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी ऐसा मत नहीं जो दगीला न हो तथा जिस पर अध्येताओं और समीक्षकों की समवेत स्वीकृति की मुहर लगी हो।

कुछ भाषाशास्त्री यह भी कहते हैं कि भाषाविज्ञान चूँकि एक विज्ञान है, इसलिए अनुमान और अटकलों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं विज्ञान तो विद्यमान तथ्यों के आधार पर ही किसी पदार्थ की समुचित पड़ताल कर एक प्रामाणिक तथा ठोस निष्कर्ष निकालता है। उक्त भाषाविज्ञानियों के अनुसार भाषा-उत्पत्ति संबंधी मतों पर विचार करना भाषाविज्ञान का काम नहीं है। यह कार्य उसकी कार्यपरिधि के बाहर है। इस महत्वपूर्ण शोध को वे मानव इतिहासज्ञों, दार्शनिकों तथा समाजशास्त्रियों को सौंपते हैं।

वस्तुतः भाषा-उत्पत्ति का प्रश्न स्वयं में बेहद पेचीदा है। यह प्रश्न उतना ही जटिल है, जितना मानव उत्पत्ति का प्रश्न। भाषा उत्पत्ति के संबंध में श्री हेमचंद्र पाण्डेय की सोच कुछ इस प्रकार है "भाषा के जन्म से लेकर उसके मौखिक रूप के विकसित होने तक दस-पन्द्रह हजार साल लगे ही होंगे। इस अनुमान के आधार

पर भाषा का जन्म 30000 साल पहले हुआ होगा और आज यह अनुमान सही हो तो मनुष्य के उत्थान की कहानी में भाषा का जन्म बहुत पुरानी घटना नहीं है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति कम से कम बीस लाख साल पुरानी मानी जाती है। सृष्टि के उद्भव और उत्थान की कहानी में तो यह बहुत हाल की घटना है।"

1866 ईसवी में पेरिस में स्थापित "भाषाविज्ञान परिषद्" में भाषा की उत्पत्ति विषयक विचार को इस आधार पर प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया गया क्योंकि "भाषाविज्ञान एक विज्ञान है और इसके अंतर्गत केवल उन्हीं विषयों को लिया जा सकता है, जिन पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक और ठोस आधार उपलब्ध हो जबकि लाखों वर्ष पूर्व उत्पन्न भाषा पर विचार करने के लिए ऐसे किसी आधार का नितान्त अभाव है। अतः भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को भाषाविज्ञान का अंग नहीं माना जा सकता। इस आधार पर भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न की प्रायः उपेक्षा ही होती आ रही है।

भाषा - उत्पत्ति की प्रत्यक्ष व परोक्ष मार्ग को विभिन्न मतों एवं सिद्धांतों द्वारा समझ सकते हैं-प्रत्यक्ष मार्ग भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा व्यक्त किए गए है। 'ओल्ड टेस्टामेंट' में भी इस संबंध में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें कहीं गई है। इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब तथा अन्य देशों की धार्मिक तथा भाषाशास्त्र-विषयक पुस्तकों में भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ-कुछ बातें मिल जाती है। 8वीं सदी के पूर्व व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धांत के अंतर्गत आ सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार के सिद्धांत, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत :-

भाषा-उत्पत्ति से संबंधित मतों में यह सबसे प्राचीन मत है। उनके विचार से भाषा इस सृष्टि के लिए ईश्वर प्रदत्त एक अनुपम भेंट है। "उनका कहना है कि ईश्वर ने ही मनुष्य को बोलना सिखाया। पूरब के साथ-साथ पश्चिम के लोग भी इस मत के समर्थक रहे हैं। यही कारण है कि प्रायः सभी धर्मों के प्रणेताओं ने अपने-अपने धर्म ग्रंथों को ईश्वर विरचित बताया है। हिंदू, संस्कृत, भाषा को देववाणी कहते हैं और वेदों को ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं।

संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनी के 14 सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं।"3

सा मागधी मूल भाषा नरा याददिकवि।
ब्रम्हानों चस्सुतालापा संबुद्धा चापि भासर ।।।

समीक्षा- आज के इस वैज्ञानिक युग में भाषा उत्पत्ति संबंधी उक्त मत बासी पड़ चुका है। सच बात तो यह है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती है तो सभी प्राणियों पशु पक्षियों अथवा मनुष्यों की भाषा एक की क्यों नहीं हुई? इस संबंध में हर्डर का कहना है कि यदि भाषा ईश्वर विरचित होती तो वह अधिक पूर्ण और उपयुक्त होती।

धातु सिद्धांत-

इस ओर संकेत प्लेटो ने किया था, किंतु व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस को है। मैक्समूलर ने भी पहले इसे स्वीकार किया और अपनी पुस्तक में इसे स्थान दिया, किंतु बाद में इसे निरर्थक कहकर छोड़ दिया।

इसी को डिंग डांगवाद या रणन सिद्धांत भी कहा गया है। कुछ लोग गलती से डिंग डांगवाद का प्रयोग अनुकरण सिद्धांत के लिए करते हैं।

"धातु सिद्धांत का डिंग डांगवाद नाम आधार है, जो आगे कि बातों से स्पष्ट हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी ध्वनि होती है। यदि हम एक डंडे से एक काठ एक लोहे, एक सोने, एक कपड़े और एक कागज पर मारे तो देखेंगे सबका 'डिंग डांग' (मूल अर्थ घंटे पर मारने का शब्द या टन टन) या सबकी 'ध्वनि' अलग-अलग होगी। इसी प्रकार आरंभ में मनुष्य में एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि जिस किसी चीज के संपर्क में वह आता उसके लिए उसके मुँह से एक प्रकार की ध्वनि निकल जाती।" 5

विभिन्न वस्तुओं की ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियों धातु थी। आरंभ में इस प्रकार से धातुओं की संख्या बहुत बड़ी थी, किंतु उनमें बहुत सी धीरे-धीरे लुप्त हो गई और केवल 400-500 धातुएं शेष रहीं। उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई।

समीक्षा पहली बात तो यह है कि आदि मनुष्यों के संबंध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। कुछ कल्पनाएँ साधार होती हैं, इसीलिए उन्हें माना जाता है, किंतु यह तो निराधार कल्पना है, अतः सर्वथा व्याज्य है दूसरे मत भाषा केवल धातु से ही नहीं बनती। प्रत्यय उपसर्ग आदि अन्य घटकों की भी आवश्यकता पड़ती है। इस मत में उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है।

संकेत सिद्धांत -

इस मत के प्रमुख उद्घोषक पाश्चात्य समाज विचारक रूसों हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम 'निर्णय सिद्धांत' तथा 'प्रतीक सिद्धांत' भी हैं। 'रूसो का कहना है कि भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं है, अपितु मानव प्रदत्त है। उनके अनुसार मानव पहले पशुओं की तरह हाथ पैर हिला डुलाकर या आँखों के संकेत से अपनी भावाभिव्यक्ति किया करता था, किंतु उक्त संकेत मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं थे। बार-बार आंगिक संकेतों के अभिनयों से तंग होकर मनुष्य ने अपनी खुली अभिव्यक्ति के लिये एकत्र होकर विचार-विमर्श किया। उन्होंने

विभिन्न वस्तुओं तथा अपनी वैचारिक लेन-देन के लिए कुछ ध्वनि संकेत स्थिर किए और कालान्तर में उक्त ध्वनि संकेतों से ही भाषा का विकास हुआ।

समीक्षा- तर्क के क्षीण रोएँ रेशो से बना हुआ यह मत भी भाषा उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सटीक जबाब नहीं दे पाता। प्रश्न है, पहले जब भाषा ही नहीं थी, तो व्यक्ति ने पारस्परिक विचार विनिमय कैसे किया? क्योंकि भाषा और विचार का रिश्ता अटूट होता है। अल्प समय के लिए यदि स्वीकार भी कर लें कि भाषा के अभाव में वैचारिक आदान-प्रदान हो सकता था, तो फिर भाषा की आवश्यकता ही क्या थी? अतः इस सिद्धांत का स्वीकार करना पत्थर से पानी निचोड़ने जैसा ही होगा।

अनुकरण सिद्धांत -

यह अनुकरण तीन प्रकार का है ध्वन्यात्मक, अनुकरणात्मक 5. अनुकरणात्मक तथा दृश्यात्मक। इस सिद्धांत के प्रतिपादिकों के अनुसार "मनुष्य ने अपने आसपास के पशु-पक्षियों की मौं भों, म्याऊँ म्याऊँ काँव-काँव आदि ध्वनियों के निर्जीव पदार्थों से होने वाली कल-कल, छल-छल, तड़-तड़ ध्वनियों के तथा पदार्थ विशेष के देखने से उत्पन्न प्रतिक्रियात्मक बग-बग, दगदग, जग जग आदि ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द बनाये और फिर इसी आधार पर भाषा का महल खड़ा हुआ।" "

समीक्षा- यह सिद्धांत अत्यंत स्वल्प शब्दों की रचना के आधार को ही स्पष्ट करता है किसी भी भाषा में अनुकरण मूलक शब्द संभवतः एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। शेष 99 प्रतिशत शब्दों के लिए इस सिद्धांत में कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार यह सिद्धांत उपेक्ष्य न होने पर भी अपूर्णता के कारण समग्रतः ग्राह्य नहीं।

मनोभावाभिव्यंक्तावाद सिद्धांत -

इसी के अन्य प्रचलित नाम हैं मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजकवाद, आवेग सिद्धांत तथा पूह-पूहवाद आदि। "इस सिद्धांत के अनुसार भावावेश में मनुष्य के मुख से स्वतः निसृत हर्ष, शोक, भय, विस्मय तथा चिंता सूचक शब्दों आह, ओह, हाय. हूँ, हाँ, छिः से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ है।" "

समीक्षा इस सिद्धांत के विरुद्ध प्रथम तर्क यह है कि मनोभाव को अभिव्यक्ति देने वाले शब्द सभी भाषाओं में समान नहीं। संसार भर के कुते अपना दुख एक प्रकार से रोकर प्रकट करते हैं परंतु संसार के सभी देशों के मनुष्य हर्ष-शोक की अभिव्यक्ति एक समान शब्दों में नहीं करते।

श्रम ध्वनि सिद्धांत -

इस सिद्धांत के प्रयोक्ता पाश्चात्य भाषाविद् श्री न्वायर हैं। हिंदी में इस सिद्धांत के लिए एक और अनावश्यक विस्तार भार से बोमिल नाम प्रयुक्त किया जाता है। वह नाम है 'श्रमपरिहरणमूलकतावाद'। श्रम करते समय व्यक्ति के मुँह से जो ध्वनि निकलती है वह श्रम का परिहार नहीं करती बल्कि यह ध्वनि तो शारीरिक क्रिया के साथ सहज रूप में व्यक्ति के मुँह से निकलकर श्रम करने में सहायक सिद्ध होती है।

भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धांत में न्वायर के अनुसार " जब व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है. तब उसकी सांस बड़ी तेजी से चलने लगती है। तेजी से चलती हुई साँस के कारण व्यक्ति की स्तर-तंत्रियों में विविध प्रकार की कंपन पैदा होती है।

उक्त कंपन के साथ ही उसके मुँह से कुछ ऐसी ध्वनियों निकलती है. जिससे श्रमी-व्यक्ति कुछ राहत पाता और वह अपना कार्य सरलता से करता रहता है। जैसे कपड़ा धोतेसमय धोबी के मुँह से छयो छियो, नौका संचरण करते समय कैंवट 'हैया-हैया' की ध्वनि करता है।""